निदर्शिका

[CALENDER]

[भाग-१]

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

राष्ट्रपति अधिनियम सं. १०, सन् १९७३

[अद्यतन संशोधित]

१६ दिसम्बर, १९७४ से प्रवृत्त

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, VARANASI

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

अनुक्रमणिका

धारा विषय

अध्याय–१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त. नाम, प्रारम्भ और लागू होना

२. परिभाषाएँ

अध्याय–२
विश्वविद्यालय

३. विश्वविद्यालय का निगमन

४. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन

५. शक्तियों का राज्य क्षेत्र में प्रयोग

६. विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

७. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

७ क. कुछ विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्याय–३
निरीक्षण तथा जाँच

८. परिदर्शन

अध्याय–४
विश्वविद्यालय के अधिकारी

९. विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०.	कुलाधिपति	२०
११.	प्रति-कुलाधिपति	२१
१२.	कुलपति	२१
१३.	कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य	२५
१४.	प्रति-कुलपति	२८
१५.	वित्त अधिकारी	२८
१६.	कुलसचिव	२९
१६ क.	परीक्षा नियन्त्रक	३०
१६ ख.	कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में कुलसचिव का कर्त्तव्य	३२
१७.	कुलसचिवों, उपकुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण	३२
१८.	अन्य अधिकारी	३३

अध्याय–४-क
समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

१८ क.	समन्वय परिषद्	३४
१८ ख.	केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड	३५
१८ ग.	सचिवीय सहायता	३७

अध्याय–५
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

१९.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	३८
२०.	कार्यपरिषद् का गठन	३८
२१.	कार्यपरिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य	४२
२२.	सभा	४५
२३.	सभा की शक्तियाँ तथा कर्तव्य	४७
२४.	सभा का अधिवेशन	४८

२५.	विद्यापरिषद्	४८
२६.	वित्त समिति	५०
२७.	संकाय	५१
२८.	प्रवेश समिति	५३
२९.	परीक्षा समिति	५५
३०.	अन्य प्राधिकारी	५६

अध्याय–६
अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

३१.	अध्यापकों की नियुक्ति	५७
३१ क.	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति	६७
३१. क.क.	सह आचार्य और आचार्य के पद की पदोन्नति	६७
३१ ख.	नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	६८
३२.	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति-संविदा	६८
३३.	पेंशन, भविष्यनिधि आदि	६९
३४.	अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा	६९
३५.	सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें	७०
३६.	माध्यस्थम् अधिकरण	७१

अध्याय–७
सम्बद्धता तथा मान्यता

३७.	सम्बद्ध महाविद्यालय	७४
३८.	सहयुक्त महाविद्यालय	७६
३९.	प्रबन्धतन्त्र की सदस्यता के लिये अनर्हता	७८
४०.	सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि	७८
४१.	घटक महाविद्यालय	७९
४२.	स्वायत्त महाविद्यालय	८०

४३. श्रमजीवी महाविद्यालय ८०

४४. संस्थान ८०

अध्याय–८
प्रवेश तथा परीक्षायें

४५. छात्रों का प्रवेश ८१

४६. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक ८२

४६ क. महाविद्यालय को अंशदान और दान ८२

४७. विश्वविद्यालय के छात्र-निवास, छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र ८३

४८. परीक्षाएँ ८३

अध्याय–९
परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

४९. परिनियम ८४

५०. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे ८६

५१. अध्यादेश ८८

५२. अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे ८९

५३. विनियम ९१

अध्याय–१०
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

५४. वार्षिक रिपोर्ट ९३

५५. लेखा तथा सम्परीक्षा ९३

५५ क. अधिभार ९४

अध्याय–११
उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

५६. परिभाषाएँ ९५

५७. सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति ९५

५८. प्राधिकृत नियन्त्रक ९७

५९. सहायता न प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग वाले महाविद्यालयों को धारा ५८ का लागू न होना ९८

६०. प्राधिकृत नियन्त्रक को सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य ९९

अध्याय–११ क
उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

६० क. परिभाषायें १००

६० ख. समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान १०१

६० ग. निरीक्षण करने की शक्ति १०१

६० ग.ग. अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद १०२

६० घ. कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया १०२

६० ङ. वेतन के सम्बन्ध में दायित्व १०४

६० च. दण्ड, आस्तियाँ तथा प्रक्रिया १०५

६० छ. आदेश का अन्तिम होना १०६

६० ज. नियम बनाने की शक्ति १०६

अध्याय–१२
शास्तियाँ और प्रक्रिया

६१. शास्तियाँ १०७

६२. न्यायालयों का संज्ञान १०८

६३. रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध १०८

अध्याय–१३
प्रकीर्ण

६४. प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति १०९

६५.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	१०९
६६.	रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना	११०
६६ क.	राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिये सशक्त बनाये जाने की व्यवस्था	११०
६७.	विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना	११०
६८.	कुलाधिपति को निर्देश	१११
६८ क.	प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति	१११
६९.	वाद का वर्जन	११२
७०.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	११३

अध्याय–१४
संक्रमणकालीन उपबन्ध

७१.	विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों का बना रहना	११४
७२.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	११४
७२ क.	काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध मे अस्थायी उपबन्ध	११५
७२ ख.	गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११५
७२ ग.	मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११६
७२ घ.	अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११६
७२ ङ.	काशी विद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११६
७२ च.	आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११६
७२ छ	गोरखपुर और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११७

७२ ज.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध	११७
७३.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	११७
७४.	कतिपय अधिनियमितियों का निरसन	११८
७५.	१९६५ के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. २४ का संशोधन	१२३
७६.	निरसन और व्यावृतियाँ	१२३
	अनुसूची	१२४
	अस्थायी उपबन्ध	१२६
	उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९८०	१२८

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १० सन् १९७३)

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए

अधिनियम

निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय-१

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ है।

(२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति-निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त हुआ है।

(३) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा) को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार [1]समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारत: प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हैं।

(४) (क) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ

---

१. अधिनियम संख्या २, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

को इस अधिनियम के लागू होने मे राज्य सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धो में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारत: प्रभाव न डालते हो, कर सकेगी, जो परिस्थितियो के अनुसार अपेक्षित हो।

[१](ख)

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'विद्यापरिषद्' 'सभा' और 'कार्यपरिषद्' से विश्व-विद्यालय की क्रमश: विद्यापरिषद्, सभा और कार्यपरिषद् अभिप्रेत है;

(२) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों;

(३) 'विश्वविद्यालय का क्षेत्र' से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यथास्थिति, धारा ५ या धारा ४ द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(४) 'सहयुक्त महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और [२]इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हो;

(५) 'स्वायत्त महाविद्यालय' से कोई ऐसा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा ४२ के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय;

[३](५क) पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ (उ.प्र. अध्यादेश संख्या १२, सन् १९९४) द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम १९९४ मे है;

[१](५ख) 'केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य धारा १८-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड से है;

(६) 'घटक महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, और परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;

[२](६क) 'समन्वय परिषद्' का तात्पर्य धारा १८-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से है;

(७) 'निदेशक' से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(८) 'वर्तमान विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय [३](जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा कहा जायेगा), गोरखपुर विश्वविद्यालय [४][जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा], कानपुर विश्वविद्यालय [५][जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से श्री शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा] या मेरठ विश्वविद्यालय [६](जो कि १७ जनवरी १९९४ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा) या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ जैसा मामला या सन्दर्भ हो;

१,२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश १९९५] द्वारा बढ़ाया गया।
३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।
४. उ.प्र. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा बढ़ाया गया।
५. उ.प्र. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ से प्रतिस्थापित।
६. उ.प्र. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।

(९) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

[1](९क) 'आधारभूत पाठ्यक्रम' का तात्पर्य स्वयं के और अधिक बोध और सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के पाठ्यक्रम से है;

(१०) 'विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)' से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो;

(११) 'विश्वविद्यालय का छात्रावास' से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा 'सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास' से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(१२) 'संस्थान' से धारा ४४ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(१३) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' से ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

[2]परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में पद 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य, यथास्थित, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षासमिति से है, और पद 'प्रबन्धतन्त्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

(१४) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश १९९५] द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया।

(१५) 'प्राचार्य' से किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(१६) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(१७) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(१८) [1]'स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(१९) [2]अध्याय ग्यारह-क के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(२०) 'विश्वविद्यालय' से कोई विद्यमान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा ४ के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(२१) 'श्रमजीवी-महाविद्यालय' से धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है।

●

१,२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय- २

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

३. (१) किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति से तथा कार्यपरिषद्, सभा और विद्यापरिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(२) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा. और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा अपने नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्व-विद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन

४. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमि॥ नियत करे, अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये नैनीताल में कुमायूँ विश्वविद्यालय और श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(१-क) [1]ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे—

(क) झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय [2][जिसे १८ जून, १९९४ से डाक्टर राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा ११ जुलाई, १९९५ से डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा।]

(ग) बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय [3][जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९७ के

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ से प्रतिस्थापित।

३. उ.प्र. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा बढ़ाया गया।

प्रारम्भ की तिथि से महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा।]

(घ) [1][पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम से जाना जायेगा।]

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये स्थापित किये जायेंगे।

(१-ख) उपधारा (१-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी, और ऐसे विश्वविद्यालय के लिये ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) [2]खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य [3]३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

''यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक काल तक के लिए बढ़ा सकती है।''

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी, कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

१. उ.प्र. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा बढ़ाया गया

२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।

(२) वाराणसी में काशीविद्यापीठ नामक संस्था को [१](जिसे दिनाङ्क ११ जुलाई, १९९५ से महात्मा गाँधी काशीविद्यापीठ कहा जायेगा) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय उस तारीख से समझा जायेगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त, नियत करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियत तारीख से—

(i) काशीविद्यापीठ, वाराणसी नामक सोसायटी विघटित हो जायेगी, और सोसायटी के सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति और अधिकार, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे, और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ii) उक्त सोसायटी के सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएँ विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे, और तत्पश्चात् उनके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्ट किये जायेंगे;

(iii) किसी अधिनियमिति में उक्त सोसायटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा, मानों वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हों;

(iv) किसी बिल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसायटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा, मानो उसमें ऐसी सोसायटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त तारीख के ठीक पूर्व उक्त सोसायटी में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उक्त तारीख से उसी अवधि के लिए और सेवा की उन्हीं शर्तों, अथवा तत्सदृश शर्तों पर, जो परिवर्तित परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, विश्वविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायेगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किए जाने पर उक्त सोसायटी के अन्तर्गत होता।

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

(४) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना, सिवाय राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के जारी नहीं की जायेगी।

(५) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का संशोधन करने के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे, जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों, और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।

(६) उपधारा (५) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपबन्ध, किन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा ५ के प्रयोजनों के लिए 'काशीविद्यापीठ' से वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था अभिप्रेत १८६० का २१

है, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत काशीविद्यापीठ नामक सोसायटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसायटी की निरीक्षक सभा ने २८ मई, १९७२ को यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था की सम्पूर्ण जंगम और स्थावर संपत्तियों को ग्रहण कर ले और उसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे।

शक्तियों का राज्य क्षेत्र में प्रयोग

५. (१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ से भिन्न) प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(२) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय सम्बद्ध सरकार की सिफारिश के बिना—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं प्रदान करेगा।

(३) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता से सम्बद्ध इस अधिनियम की कोई बात काशी विद्यापीठ पर लागू न होगी।

(४) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण देने तथा अनुसन्धान कार्य करने और

उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार करने के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।

[1]परन्तु आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो २ मार्च, १९७२ के ठीक पूर्व वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का अंग था और जिसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण उक्त दिनांक से और तत्पश्चात् पाँच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो गया था, तब तक जब तक कि धारा ७४ की उपधारा (४) प्रवृत्त रहे, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय समझा जायेगा।

[2](५) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थायें डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा या क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध की जा सकती हैं।

[3][(६) धारा ३७ के उपधारा (१) में निहित तथ्यों के बावजूद उ.प्र. में कहीं भी इञ्जीनियरिंग प्रौद्योगिकी या प्रबन्धन तथा भारतीय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाणपत्र अधिनियम १९१६ में दी गई परिभाषा के अनुसार पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा या निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित संस्थाएँ या स्थापना के लिए प्रस्तावित संस्थाएँ राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश या निर्देश के अन्तर्गत आयेंगी और किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकती हैं।]

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मताव-लम्बियों के लिए होगा

६. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही ये किसी वर्ग या मत के हों, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अध्यादेशों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध बनाना मना है।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११, दिसम्बर १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १४, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्—

*[1](१) संस्कृत, पाली तथा प्राकृतविद्या तथा अन्य सम्बद्ध विषयों, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद भी है, में शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसन्धान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही, यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता-प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा उसमें कमी करना और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियन्त्रण करना;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(४) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त कालेज से किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता-प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रूप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसन्धान कार्य किया हो; या

(ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके, किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन

*(१) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, तथा अनुसन्धान-कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

किया हो, और जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जायें, वाहक अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों; या

*[1](घ) जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(ङ) जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(च) जो नेत्रहीन हों और विश्वविद्यालय क्षेत्र में निवास करते हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो;

*[2](५) सरस्वतीभवन पुस्तकालय का अनुरक्षण करना;

(६) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तों के अधीन सम्मानित उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें प्रदान करना;

(७) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा देना और उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे;

*(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षाविभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और जिन्होने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

*(५) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये, जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किये हों, परीक्षायें लेना और उन्हें बेचलर ऑफ आर्ट्स या कामर्स अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स या कामर्स की उपाधि प्रदान करना[1]।

१,२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(८) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(९) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

*[१](१०) संस्कृत तथा सम्बद्ध विषयों के साहित्य की ग्रन्थ-सूची रखना तथा अनुसन्धान कार्यों को प्रकाशित करना;

(११) महाविद्यालयों की सम्बद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(१२) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिनके अन्तर्गत यात्रिक अधिछात्रवृत्तियाँ भी हैं), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(१३) छात्र-निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय, संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(१४) ऐसी फीस और अन्य प्रभार माँगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाँय;

(१५) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना, उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना;

(१६) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना; तथा

*(१०) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिए अध्यापकों को मान्यता देना।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(१७) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

कुछ विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्त्तव्य

[१]**१७क.** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर यथास्थिति डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा या क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर—

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएँ लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निदेश में उक्त अधिनियम के अधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

●

१. अधिनियम संख्या १४, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय- ३

निरीक्षण तथा जाँच

परिदर्शन

८. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप से सुनवाई का अधिकार होगा।

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त हैं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५

और ३४६ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा[1] और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी, और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद् को संसूचित करेगा।

(५) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(६) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें, तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(७) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (१) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (५) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (६) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(८) उपधारा (६) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (७) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जाँच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्यपरिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद् को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे, जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्यपरिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा ११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(९) उपधारा (८) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद् की संरचना पर धारा २० की कोई बात लागू न होगी।

(१०) उपधारा (८) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(११) उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) धारा २० की उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित समझी जायेगी—

"(६) कार्यपरिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।";

(ख) धारा २१ की उपधारा (१) में "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्दों के पश्चात्, "तथा कुलाधिपति के भी नियन्त्रणाधीन रहते हुए" शब्द अन्त:स्थापित समझे जायेंगे।

(ग) धारा २४ की उपधारा (२) में, "और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

(१२) उपधारा (८) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जायेगी।

(१३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा कि वे उपधारा (११) के उपबन्धों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या किया गया आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाए।

अध्याय-४

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(क) कुलाधिपति;

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में प्रतिकुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) धारा १४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रतिकुलपति;

(ङ) वित्त अधिकारी,

(च) कुलसचिव;

[१](च च) परीक्षा नियन्त्रक, यदि कोई नियुक्त हो;

*[२](छ) संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों;

(ज) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

१०. (१) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

*(छ) सङ्कायों के सङ्कायाध्यक्ष।

१. अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(२) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(३) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन-कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति माँगे, प्रस्तुत करे।

(४) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

प्रति-कुलाधिपति

११. (१) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति आजीवन बने रहेंगे।

(२) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलाधिपति सभा के अधिवेशनों का तथा विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त-समारोह का सभापतित्व करेगा।

(३) प्रति-कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

कुलपति

१२. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (५) या उपधारा (१०) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) [१]कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा छात्र-निवास

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्यपरिषद् द्वारा किया जाना है;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा ;

[१]परन्तु जहाँ कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्यपरिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम निर्दिष्ट करेंगे;

(३) उपधारा (७) के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व, और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये, और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टिताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(४) जहाँ कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो, तो वह समिति से उपधारा (३) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(५) यदि समिति उपधारा (३) या उपधारा (४) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है[१]; या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामवालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा, जो उपधारा (३) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(६) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(७) कुलपति अपने पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा।

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(८) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(९) कुलपति धारा ३३ के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्यनिधि के फायदे का हकदार न होगा।

[२]परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय, तो उसे उस भविष्यनिधि में जिसका वह

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या २, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

(१०) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एकमात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा—

(क) जहाँ कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (१) से (५) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(११) जब तक कि उपधारा (१) या उपधारा (५) या उपधारा (१०) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न सँभाल ले, तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति-कुलपति न हो, गोरखपुर और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा धारा ३८ में उल्लिखित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, या किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में, सम्बद्ध महाविद्यालय का ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

[1][(१२) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझ कर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(१३) उपधारा (१२) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाय—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (८) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।]

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

१३. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और—

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय तथा संस्थान भी हैं और उससे सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

---

१. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।

[1](ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या-सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(२) वह कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा वित्त-समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(३) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(४) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे [2]और धारा १० तथा ६८ के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(५) कुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, विद्यापरिषद् तथा वित्त-समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी—

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(६) जहाँ [3][विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न] ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ द्वारा बढ़ाया गया।

वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(७) उपधारा (६) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(८) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (६) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी [1]की नियुक्ति की गई

१. 'या अध्यापक' अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (संशोधन) अधिनियम १९९२] द्वारा हटाया गया।

हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रूप से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रति-कुलपति

१४. (१) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(२) यदि कुलपति आवश्यक समझे, तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्त्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(४) प्रति-कुलपति कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(५) प्रति-कुलपति को तीन सौ रूपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

(६) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें कुलपति उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित करे।

वित्त अधिकारी

१५. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(२) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय

की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(३) उसे कार्यपरिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(४) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(५) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(६) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(७) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य वे होंगे, जो विहित किये जाँय।

कुलसचिव

१६. (१) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(२) धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी और उसकी सेवा की शर्तें उनके अधीन होंगी।

(३) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(४) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद्, सभा, विद्यापरिषद्, प्रवेश-समिति [१][× × × ×] तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उनके कार्य-सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाँय या कार्यपरिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(५) *[× × × ×]

(६) कुलसचिव को धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियन्त्रक

**१६क. (१) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों को और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों को लागू होती है, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(२) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

---

१. अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा 'और परीक्षा समिति' निकाल दिया गया।

* उपधारा (५) अधिनियम सं १४, सन् १९९५ द्वारा निकाल दिया गया।

** धारा १६-क अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(४) परीक्षा नियन्त्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाँय या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(५) परीक्षा नियन्त्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा और इस सम्बन्ध में उसे कुलसचिव की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(६) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियन्त्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(७) परीक्षा नियन्त्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(८) यदि कभी परीक्षा नियन्त्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियन्त्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियन्त्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में कुलसचिव का कर्त्तव्य

*१६ख. जिन विश्वविद्यालयों को धारा १६-क के उपबन्ध लागू नहीं हैं, उनमें परीक्षा नियन्त्रक के कर्त्तव्यों का पालन कुलसचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए कुलसचिव को परीक्षा नियन्त्रक समझा जायेगा।

कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण

१७. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाकर कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक् सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी, जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य होगी तथा ऐसी किसी सेवा में भर्ती को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी :

[१]परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो ३१ अक्टूबर, १९७५ से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है।

(२) जब ऐसी कोई सेवा सृजित की जाय, तो [२]कुलसचिव, उप-कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के प्रशासनिक पदों पर तत्समय सेवारत सभी व्यक्ति जो यदि तारीख १४ मई, १९७३ से पूर्व स्थायी किये जा चुके हों, तो उक्त सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेंगे तथा उक्त पदों पर तत्समय सेवा करने वाले अन्य व्यक्ति यदि उपयुक्त पाए जाँय, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रूप से आमेलित किये जा सकेंगे और यदि पश्चाद्वर्ती व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अन्तिम रूप से उक्त सेवा में आमेलित नहीं किया जाता, तो उसकी सेवायें एक मास का वेतन प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने पर समाप्त समझी जायेंगी।

(३) जहाँ उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सेवा में आमेलित किया जाय तो उसे लागू होने वाली सेवा की शर्तें, उसके

---

* धारा १६-ख अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

१ अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

आमेलित किये जाने के पूर्व उस पर लागू शर्तों से, सिवाय इसके कि उसका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, कम लाभकारी न होंगी।

[१]परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कम से कम तीस दिन की कुल कालावधि के लिये जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हो जायें, किन्तु ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अन्य अधिकारी

१८. कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियाँ होंगी, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें।

●

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-४-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

समन्वय परिषद्

१८क.[१] (१) एक समन्वय परिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा और उसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(दो) उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) राज्य सरकार के न्याय विभाग का सचिव;

(चार) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(पाँच) राज्यपाल का सचिव;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव, जो समन्वय परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये समन्वय परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) स्नातक उपाधि के लिये अध्यापन के सामान्य पाठ्यक्रम की सिफारिश करना;

(ख) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिये या प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के उपायों और साधनों की सिफारिश करना;

१. अध्याय-४क राष्ट्रपति अधिनियम सं. ४, सन् १९९६ (उ.प्र. अध्यादेश सं. २८, सन् १९९५) द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना और सिफारिश करना।

(३) समन्वय परिषद् की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर, जैसा कुलाधिपति विनिश्चय करे, होगी।

केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

१८ख. (१) आधारभूत पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए, जिन्हें कुलाधिपति समन्वय परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित करें; केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होगा।

(२) आधारभूत पाठ्यक्रम के केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रत्येक विश्विद्यालय के उपाचार्य के अनिम्न पद का एक अध्यापक या सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय का प्राचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(दो) पाँच शिक्षाविद् को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित आचार्यों की सूची में हो, जिन्हे समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(३) अन्य विषयों या विषयो के समूह के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड का संयोजक :

परन्तु यह कि यदि किसी विश्वविद्यालय में विषय या विषयों के समूह में अध्ययन बोर्ड न हो, तो कुलपति विश्वविद्यालय में उपाचार्य के स्तर से अनिम्न किसी अध्यापक या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय के प्राचार्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है;

(दो) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातक स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित अध्यापकों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; और

(पाँच) राज्य के बाहर से विषय के दो अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(४) कुलाधिपति केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे—

(i) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए उपधारा २ के खण्ड (एक) में दिये सदस्यों के नाम से तथा;

(ii) अन्य विषय या विषयों के समूह के लिए उपधारा ३ के खण्ड (एक) और (दो) में दिये गये नामों में से।

(५) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों के नाम-निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(६) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि उपधारा (५) में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी और सदस्यों की पदावधि केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगी।

परन्तु यह कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके पूर्ववर्ती की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(७) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन अध्ययन, और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों,

और शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित करना और स्नातक पूर्व-स्तर के लिये पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों की सिफारिश करना,

(ख) समन्वय परिषद् या कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना, और

(ग) इस अधिनियम के संगत ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन ऐसे समय के भीतर करना, जो कुलाधिपति के लिखित आदेश द्वारा सम्पादन करने की अपेक्षा की जाय।

(८) अपने कृत्यों का अनुपालन करने में केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड ऐसे विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकता है, जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(९) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस दिनांक से प्रवृत्त होंगी, जो कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(१०) कुलाधिपति किसी भी समय केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी विनिश्चय को इस आधार पर निलम्बित, उपान्तरित या संशोधित कर सकता है कि यह इस धारा में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है और विषय पर नये सिरे से विचार करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे सकता है।

सचिवीय सहायता

१८ग. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, १९९५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवीय सहायता देगी।

अध्याय-५

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

१९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(क) कार्यपरिषद्

(ख) सभा

(ग) विद्यापरिषद्

(घ) वित्त समिति,

*[१](ङ) संकायों के बोर्ड, यदि कोई हों,

(च) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियाँ

(छ) प्रवेश समिति,

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाँय।

कार्यपरिषद् का गठन

२०. (१) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से;

[२]परन्तु जब तक कि विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, दो संकायों के संकायाध्यक्षों के निर्देश को दो विभागों के विभागाध्यक्षों का निर्देश समझा जायेगा।

*(ङ) संकायों के बोर्ड।

१,२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

*(गग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;

*[१](घ) (१) प्रतिकुलपति से अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से भिन्न विश्वविद्यालय का एक आचार्य, एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है, और

(२) खण्ड (ञ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य तथा एक अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*[२](घघ)

*[३](ङ)

*[४](घ) कुमायूँ विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा, क्षत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के सन्दर्भ में—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा,

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा, और धारा ३७ की उपधारा (१) में उल्लिखित या उसके अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा।

*(घ.घ) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के लिए।

*(ङ) धारा ३८ की उपधारा (१) में उल्लिखित या तदधीन अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय की दशा में—

*(गग) अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या-२०, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

४. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९९ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलीगत न हों या की सेवा में न हों।

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति।

**(परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो)

[१](ज) उपशिक्षानिदेशक (संस्कृत) उत्तर प्रदेश, और

[२](झ) विश्वविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के निदेशक तथा पुस्तकाध्यक्ष आनुकल्पिक पदावधियों में, जिसमें प्रथम पदावधि में उक्त निदेशक पद धारण करेगा,

[३](ञ) धारा (५) उपधारा (४) के परन्तुक में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य।

*[४](२) उपधारा (१) के खण्ड (ग), (गग)[५] तथा (घ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी और उसके खण्ड

(i) विश्वविद्यालय के दो आचार्य [प्रतिकुलपति अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न], दो उपाचार्य, दो प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(ii) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*[६](२) उपधारा (१) के खण्ड (ग), (ग ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खण्ड (च) और (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

** अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा बढ़ाया गया।

१-३. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

५. अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

६. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) तथा (झ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (१) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन, कार्यपरिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिये सदस्य न होगा।

(४) उपाधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

[१]स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ पदस्नातक के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसने विश्वविद्यालय या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित शास्त्री परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(५) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र-निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्त्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, 'नातेदार' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में परिभाषित नातेदारों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

कार्यपरिषद् की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

२१. (१) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य-निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियन्त्रण रखना,

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,

(iii) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना,

(iv) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना,

(v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, और उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना, और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,

(viii) [1]परीक्षकों की फीस, उपलब्धियाँ तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,

(ix) [2]धारा ३७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।

२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(x) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र-निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निर्देश देना,

(xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,

(xii) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना,

(xv) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(२) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यपरिषद्, बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार

से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूत पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(३) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो. और सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के [1]अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जाएगा।

[2](३क) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश मे शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्यनिधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके।

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(४) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाँय।

(५) कार्यपरिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(६) विद्यापरिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यपरिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(७) कार्यपरिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(८) कार्यपरिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

२२. (१) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

वर्ग १-पदेन सदस्य

(i) कुलाधिपति,

(ii) कार्यपरिषद् के सदस्य,

(iii) वित्त अधिकारी,

[1](iii क) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश।

वर्ग २-आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था।

वर्ग ३-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(v) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

*[१](vi)

*[२](vii)

*[३](viii)

(ix) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

*[४](x)

वर्ग ४-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

*[५](xi) ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के, जिनके पास कम से कम आचार्य की उपाधि हो, दस प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा जो विहित की जाय, अपने में से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

---

*(vi) मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कार्यपरिषद् के सदस्य न हों।

*(vii) विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रावासों और छात्र-निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है।

*(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय के सभी प्राचार्य।

*(x) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध के दो प्रतिनिधि, जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है।

*(xi) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जो विहित की जाय, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय की सेवा में न हों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास या छात्रावास की सेवा में अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हों।

१-४. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

५. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

वर्ग ५-छात्रों का प्रतिनिधित्व

*[१](xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो :

परन्तु जब तक कि किसी संकाय का गठन न हो जाय, दो छात्र जो विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों, इस खण्ड के अधीन सभा के सदस्य होंगे।

[२]वर्ग ६

वर्ग ७-राज्य विधानमण्डल के प्रतिनिधि

(xiv) विधान-परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य,

(xv) विधान-सभा द्वारा निर्वाचित उसके पाँच सदस्य।

(२) उपधारा (१) में वर्णित सिवाय वर्ग १, २ और ५ के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उक्त वर्ग के ५ सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

२३. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपायों का सुझाव देना,

---

*(xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय मे, विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय में (जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय भी हैं) किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि अथवा मेडिकल या इंजीनियरिंग उपाधि के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाँय।

सभा का अधिवेशन

२४. (१) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्यापरिषद्

२५. (१) विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्यानिकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्यपरिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाँय।

(२) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) कुलपति,

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो,

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों,

*[१](v) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान

*[२](vi) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(viii) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे।

[३]'परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या-परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियो या नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछडे

*(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानो के निदेशक, यदि कोई हो।

*(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हो) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में,जो विहित रीति मे अवधारित की जायेगी, दो आचार्य।

१,२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम-निर्दिष्ट करेगा।'

(३) धारा [१]६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

वित्त समिति

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति,

[२](क क) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव,

(क क क) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) कुलसचिव,

[३](गग) परीक्षा नियन्त्रक,

(घ) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जो कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

[४](१क) उपधारा (१) के खण्ड (कक) या खण्ड (ककक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. (कक), (ककक) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

३. (गग) अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

४. उपधारा (१-क) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(२) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आबद्धकर होगी।

(३) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाँय।

[१](४) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असमहत हो, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

संकाय

२७. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किये जाँय।

(२) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जाँय और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाँय।

(३) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्त्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जाँय।

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

*[१](४) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु यह कि किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की दशा में, ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य आयुर्वेद संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संकाय की दशा में जहाँ कोई आचार्य न हो, वहाँ संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से धारण किया जाएगा।

(५) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यों के संगठन तथा संचालन, तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

*(४) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

[२]परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि यदि एक से अधिक ऐसा महाविद्यालय हो, तो प्रत्येक ऐसे संकाय के संकायाध्यक्ष का पद ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बीच विहित रीति से चक्रानुक्रमित होगा।

[३]परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपाचार्यों द्वारा और यदि कोई उपाचार्य नहीं है, तो अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठताक्रम के अनुसार बारी-बारी से धारण किया जाएगा।

१. अधिसूचना दिनांक २, नवम्बर, १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१](६) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धों पर पद धारण किये रहेगा, जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(७) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाँय।

(८) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

२८. (१) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(२) प्रवेश समिति को उतनी उपसमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह ठीक समझे।

(३) विद्यापरिषद् के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप-समिति को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७४ तथा अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति [१](जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश ऐसे महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

[२](५) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी—

[३](क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय मे किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये, परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और इञ्जीनियरिंग महाविद्यालयों मे, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा, किन्तु १ जनवरी, १९७९ के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१](ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रूपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा।

[२](५क) उपधारा (५) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे किसी उत्तर-प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते है।

(६) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति की शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

२९. (१) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जाएगी।

(२) धारा ४२ की उपधारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या-परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् से सिफारिश करना,

१,२. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(३) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[1](४) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (३) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

३०. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य वही होंगे, जो विहित किए जाँय।

●

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-६

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

३१. *[1](१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक एक चयन समिति की सिफारिश पर कार्यपरिषद् द्वारा एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक विहित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। (चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो)**।

(२) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति, जो उपधारा (३) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा-समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं

*(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापक और (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक यथास्थिति कार्यपरिषद् अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत् पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। **(चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो।)

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
**अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ द्वारा बढ़ाया गया।

विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में, प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो) की रिपोर्टों पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे;

[१]परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा-समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय, तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी, जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा ३५ के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।

(३) *[२](क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो, और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकते हैं; किन्तु किसी अन्य रिक्ति या पद, जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेंगे।

[१](ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय, या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव-सृजित हो जाय, वहाँ यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता, तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना, नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक, जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि-पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (२) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

*(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्ध समिति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किए बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी; किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना संभाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

[1](ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में ३१ दिसम्बर, १९९७ को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्यपरिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) ३१ दिसम्बर, १९९७ को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनाङ्क से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनाङ्क को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखता हो;

(तीन) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनाङ्क को, जैसा कार्यपरिषद् विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।

(४) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में

१. अधिनियम संख्या २३, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उसका पद विभाग में आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा;

[1]परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें;

(iii) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे,

*[2](iv)

(v) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

*[3](ग)

*(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी स्कीम के अधीन क्रमोन्नत घटक मेडिकल महाविद्यालय के किसी विभाग के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का एक-एक नाम निर्देशिती।

*(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११, दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

*[१](घ)

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

[२](ii) उन संकायों के, जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय मे पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों अथवा आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य,

(iii) प्रबंन्ध समिति का एक सदस्य, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और

(iv) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे :

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयो की दशा में, प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे, जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

[३]परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की स्थिति में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पाँच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिये प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है।

*(घ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य; जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक,

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या ५ सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(५) प्रत्येक पाठ्य-विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानी संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या-निकायों या अनुसन्धान संस्थाओं से जिन्हें कुलाधिपति आवश्यक समझे; परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा। उपधारा (४) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

*[१](ख)

*[२](ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट, कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

[३](घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए

(iii) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

[४]परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हों, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी;

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो।

*(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य-विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनाएगा, और उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल मे दिया हो।

*(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायगा।

१. अधिसूचना दिनांक २१ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।
४. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित है; विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो, तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—(१) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिससे स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके भाग १ या २ के लिए पृथक् पाठ्य-क्रम विहित हो, पृथक् पाठ्य-विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(२) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य-विषय के लिए हो, तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य-विषय का हो सकेगा।

(६) उपधारा (४) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(७) उपधारा (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी।

*[परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे—]

[१](७-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(८) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो कार्यपरिषद् उस मामले को ऐसे असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

*अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

[१]परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

[२](क क) जहाँ खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यपरिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य-परिषद् के किसी दोष के कारण न हो, तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलधिपति समय-समय पर अनुमति दे, विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्यपरिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है।

परन्तु (१) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) यदि कार्यपरिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है, तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

*[३](ख)

*(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र को एक अन्य चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।
३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

*[१](९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समिति में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(१०) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय, जिनका उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

*[२](११)

*(९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

*[३](११) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हों) का प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा, जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिये कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतन्त्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देंगे।

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देते हैं, या प्रबन्धतन्त्र को उसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं भेजते हैं, तो यह समझा जायेगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(१२) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है, जो पद के लिये विहित अर्हताएँ रखता हो।

(१३) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और उपधारा (१०) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

[१]**३१-क.** (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा ३१ के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायेगी।

(३) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

सह-आचार्य और आचार्य के पद की पदोन्नति

३१-क क. [२](१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य की, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

१. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा १०.१०.१९८४ से प्रवृत्त।
२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

(२) उपधारा (१) के अधीन पदोन्नति, धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाँय, दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द 'उपाचार्य' का अर्थ 'सह-आचार्य' होगा।

[1](३) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में या उपधारा १ या २ में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से सेवा में कार्यरत और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या ८४२/१५-१०-९७-११ (७)/९६, दिनाङ्क ११ अप्रैल, १९९७ के अनुसार, उपधारा १ में उल्लिखित संकाय में प्रोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रोन्नति की तिथि से उपधारा-१ के अधीन प्रोन्नत हुआ माना जायेगा।

नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

३१-ख. (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों और उपविधियों के अनुसार की जायेगी।

(२) उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९८ के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की गयी समस्त नियुक्तियाँ उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायेंगी, मानो उक्त उपधारा के उपबन्ध सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति-संविदा

३२. (१) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९९९ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(२) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(३) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएँ, उक्त विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम या परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हो, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

(४) किसी संविदा या अन्य लिखित के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी घटक चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेन्शन, भविष्य-निधि आदि

३३. विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों; अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, [1]जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है, जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायेगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

३४. (१) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध मे किये गये किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के सम्बन्धी शर्तें [१]वही होंगी, जो विहित की जाँय।

(२) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्त्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्यों से भिन्न कर्त्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—'पारिश्रमिकीय पद' शब्दों के अन्तर्गत छात्र-निवास अथवा छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैडिट कोर, राजकीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

*[२]३५. सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें।

*३५. (१) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का (जो राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायेगा, जिसमें ऐसे निबन्धन तथा शर्तें होंगी, जो विहित की जायें। संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रखी जायेगी।

(२) ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दें :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा मे, प्रबन्धतन्त्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने, अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नही होगा, किन्तु

१. अधिनियम संख्या २९, सैन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

माध्यस्थम् अधिकरण

३६.* [१](१) धारा ३२ मे निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से

उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान नही हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक विनिश्चय लागू नही किया जायेगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप मे हो या अन्यथा हो, लागू होंगे; किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के सम्बन्ध मे लागू न होंगे :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयो की दशा मे, प्रबन्धतन्त्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक विनिश्चय प्रभावी नही किया जायेगा।

(४) उपधारा (२) की कोई बात जाँच के दौरान निलम्बन के आदेश पर लागू नही समझी जायेगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयो की दशा मे ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा, जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गई हो।

(५) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापको की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें।

*(१) धारा ३२ या धारा ३५ मे निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा मे, कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का कार्य करेगा)।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) होगा।

(२) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(३) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(४) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(i) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(iii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने,

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का कार्य करेगा)।

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (५) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के और सम्बन्धित अध्यापक के नामनिर्देशितियों द्वारा संयोजक का चयन, ऐसे पाँच व्यक्तियों के पैनल में से किया जायेगा, जिसके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह और कि विहित समय के भीतर उनके संयोजक नियुक्त करने में असफल रहने पर तो कुलपति पैनल में से संयोजक नाम-निर्दिष्ट करेगा।

पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(५) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(६) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी, जो उपधारा (१) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

परन्तु उपधारा (३) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिग्री हो।

●

अध्याय-७

सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

[1]३७. (१) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों और (लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

*[2](२) कार्यपरिषद् सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

[3][× × × ×]

*(२) कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो निहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

[4]'परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारभूत रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करेगा, तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझें,

१. अधिसूचना दिनाङ्क १८ दिसम्बर, १९७४ द्वारा धारा ३७ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय पर लागू की गयी।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर १९७४ तथा अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा निकाला गया।

४. अधनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसन्धान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(४) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, महाविद्यालय के कार्य-कलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्यपरिषद् या कुलपति माँगे।

(६) कार्यपरिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(८) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (७) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर

अध्ययन के पाठ्यक्रम की एक अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की मञ्जूरी दे सकते हैं या विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकते हैं :

परन्तु यह भी कि जब तक कि किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक ऐसा महाविद्यालय अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में, जिसके लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनाङ्क के एक वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा'।

रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

[1](९) उपधारा (२) और (८) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, तो कुलाधिपति प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।

[2](१०) 'इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हकदार होगा; परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (२) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा'।

महयुक्त महाविद्यालय

३८. (१) यह धारा लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों तथा (आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(२) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामित किये जाँय।

(३) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिये किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने का इन्तजाम करना विधिपूर्ण होगा।

(४) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी, अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

की जायेंगी; किन्तु किसी सहयुक्त महाविद्यालय को, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये मान्यता देने से इन्कार किया जाय, तो धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे महाविद्यालय को, कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा ३७ में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी जा सकेगी और तदुपरान्त ऐसा महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय न रह जायेगा।

(५) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिये स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा। प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) यदि कार्यपरिषद् का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो वह कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से और प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ले सकेगी।

[1](८) 'इस धारा में या धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह धारा लागू होती हो, क्षेत्र

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा संशोधित।

में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाँय, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा ३७ लागू होती हो, सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा'।

प्रबन्धतन्त्र की सदस्यता के लिये अनर्हता

३९. कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्रनिवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये धारा २० के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि

४०. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होगा।

(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र को

देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे, तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा; किन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधिव्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९९८ की धारा ४८० तथा ४८२ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(५) राज्य सरकार उपधारा (४) के अधीन प्रबन्धतन्त्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी।

(६) राज्य सरकार किसी समय सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँग सकेगी।

घटक महाविद्यालय

४१. (१) घटक महाविद्यालय वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामित किए जाँय।

(२) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलीगत छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और

महाविद्यालय को आवंटित लिपिक-वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर साधारण नियन्त्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाँय।

स्वायत्त महाविद्यालय

*[१]४२—

श्रमजीवी महाविद्यालय

*[२]४३—

संस्थान

४४. विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसन्धान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

●

*४२. (१) विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, ऐसे महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से परिवर्तन करने तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा।

(२) ऐसे महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(३) ऐसा कोई महाविद्यालय विहित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

*४३. (१) विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, जो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नामावलीगत होने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे सकेगा।

(२) ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि का विस्तार अन्य छात्रों के निमित्त पाठ्यक्रम के लिए विहित कालावधि के डेढ़ गुने से कम नहीं होगी।

(३) प्रत्येक ऐसा पाठ्यक्रम पृथक् रूप से संगठित किया जायेगा।

१, २. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

अध्याय-८

प्रवेश तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

*[१]४५. (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि उसने विश्वविद्यालय की उत्तर मध्यमा या सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी की मध्यमा परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके बराबर मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, जो अध्यादेशों में निर्धारित की जाय, न रखता हो।

(२) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी।

*४५ (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि—

(क) उसने

(i) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

(ii) कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई उपाधि प्राप्त न कर ली हो, जो ऐसी परीक्षा या उपाधि हो, जिसे विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के बराबर मान्यता दी हो, और

(ख) वह ऐसी अतिरिक्त अर्हताएँ यदि कोई हों, रखता हो, जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

परन्तु विश्वविद्यालय ललित कला की किसी उपाधि के लिए प्रवेश की न्यूनतम अर्हताएँ अध्यादेशों द्वारा विहित कर सकेगा।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(३) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(४) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हटाया जा सकेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

४६. सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे [1]महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकथित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

महाविद्यालय को अंशदान और दान

[2]**४६क.** जहाँ किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

विश्वविद्यालय के छात्र-निवास, छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र

४७. (१) यह धारा लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगी।

(२) विश्वविद्यालय के छात्र-निवास या छात्रावास वही होंगे, जो—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित तथा परिनियमों में नामित हों,

(ख) कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता-प्राप्त हों।

(३) छात्रनिवासों तथा छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(४) कार्यपरिषद् को किसी ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास की जो उपधारा (२) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिये बिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(५) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिये, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र-निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास-स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा। अनिवासी छात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्त्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

परीक्षाएँ

४८. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए इन्तजाम करने का निदेश देगी।

अध्याय- ९

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

४९. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्त्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो,

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य,

[१](घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्यासम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है),

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं),

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य-निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना,

(छ) उपाधियाँ तथा डिप्लोमा संस्थित करना,

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(झ) उपाधियाँ और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना,

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुन:संगठन,

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना,

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुन:संगठन,

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके,

(ढ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को मान्यता प्रदान करना,

[१](ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण,

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना,

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना,

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना, और

(ध) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

५०. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जाँय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

[१](१-क) राज्य सरकार [२]३१ दिसम्बर, १९९० तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनाङ्क से हो सकेगा, जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से पहले का न हो।

[३](२) कार्यपरिषद् [४]३१ दिसम्बर, १९९० के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (१) अथवा उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(३) कार्यपरिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक

---

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

४. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित।

कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(४) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्यपरिषद् को भेज सकेगा।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से; जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चाद्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रभावी होगा।

[[१](६) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार (अध्ययन, अध्यापन या अनुसन्धान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारीवर्ग के लाभ के लिये) या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षानीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्यपरिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे, तो राज्य सरकार कुलाधिपति की अनुमति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

[२](७) कार्यपरिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (६) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।]

---

१. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्यादेश

५१. (१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलीगत होना और इस प्रकार बना रहना,

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएँ,

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे,

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें,

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें,

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध,

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना,

(ज) पत्राचार पाठ्य-क्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय,

[१](झ) अभिभावक-शिक्षक एसोसियेशन की रचना,

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके,

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास तथा छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय,

(ठ) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य,

(ड) परीक्षाओं का संचालन,

(ढ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं,

(ण) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किये जाँय,

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

५२. (१) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वही होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रवृत्त हों :

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो, और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(२) कुमायूँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

[1](२-क) उपधारा (२) के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाये जाने तक उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जाँय, इस पर लागू होंगे।

(३) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्यपरिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये धारा ४५ की उपधारा (१) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो,

(ख) जिससे परीक्षाकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्त्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्य-क्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हो, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(४) कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्यापरिषद् को पूर्णतः

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा बढ़ाया गया।

अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्यपरिषद् सुझाव दे।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(६) कुलाधिपति, किसी समय कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्यपरिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(७) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा, जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियम

५३. (१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा—

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना, जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गए विनियमों में, उसके सदस्यों को अधिवेशनो की तारीखो की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(३) कार्यपरिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमे ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान किसी ऐसे निदेश से न हो, तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्यपरिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए विनियम सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगी।

(५) विद्यापरिषद् को उपधारा (४) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी; किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

●

अध्याय-१०

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

५४. (१) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(२) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा सम्परीक्षा

५५. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(२) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी, जो उनकी सम्परीक्षा करायेगी।

(३) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ सम्परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्यपरिषद् द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(५) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्यपरिषद् द्वारा वित्तसमिति को निर्दिष्ट की जायेगी, जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(६) कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(७) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी।

(८) कुलपति या कार्यपरिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या जो बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउण्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु धारा १३ की उपधारा (७) में किसी बात के होते हुए भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पाँच हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा, जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो [1]इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमे के सम्बन्ध में हो।

अधिभार

[2]**५५-क.** (१) धारा ९ के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

१. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया।

[1]अध्याय-११

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

परिभाषाएँ

५६. इस अध्याय में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'सम्पत्ति' के अन्तर्गत महाविद्यालय की समस्त सम्पत्ति आती है, चाहे जंगम हो और स्थावर, जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के फायदे के लिये पूर्णत: या भागत: विन्यासित हो और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), संकर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित यान और अन्य यान यदि कोई हो, और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हाथ की रोकड़, बैंक नकदी, विनिधान और बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में हो, से उद्भूत ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित और समस्त लेखाबहियाँ, रजिस्टर और तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अन्य दस्तावेजें हैं तथा महाविद्यालय के सभी अस्तित्वयुक्त उधार और किसी भी प्रकार के दायित्व और बाध्यताएँ भी इसके अन्तर्गत समझी जायेंगी।

(ख) 'वेतन' से उपलब्धियों का जोड़ अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य कर्मचारी को अनुज्ञेय कटौतियाँ करने के पश्चात् तत्समय संदेय महँगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता है।

सूचना मांगने की राज्य सरकार की शक्ति

५७. यदि राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्यान्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है—

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा अध्याय ११ निकाला गया।

(i) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को उस मास के जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेय है, अगले मास के बीसवें दिन तक वेतन का संदाय करने में जानबूझ कर बार-बार व्यतिक्रम किया है; या

(ii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं वाले, जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में विद्या सम्बन्धी स्तरों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक है, अध्यापक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है [1][या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० के अधीन उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है] या

(iii) कि ऐसे किसी विवाद ने जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि वे उसके प्रबन्धतन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी हैं, महाविद्यालय के सुचारु और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डाला है; या

(iv) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को ऐसे प्रर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री प्रयोगशाला, उपस्कर और अन्य सुविधायें, जो महाविद्यालय के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक हैं, की व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है; या

(v) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय की सम्पत्ति का सारवान् रूप से इस प्रकार परिवर्तन, दुरुपयोग या दुर्विनियोजन किया है, जिससे महाविद्यालय का अहित हो,

तो वह प्रबन्धतन्त्र से यह कारण दर्शित करने की माँग कर सकेगी कि धारा ५८ के अधीन आदेश क्यों न किये जायें :

परन्तु जहाँ यह विवाद हो कि प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसी सूचना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जायेगी, जो ऐसा होने का दावा करते हैं।

१. उ.प्र. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

प्राधिकृत नियन्त्रक

५८. (१) यदि धारा ५७ के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो; पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाय, अपने हाथ में ले ले और यह प्रबन्धतन्त्र को अपवर्जित करके होगा और जब कभी प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध को इस प्रकार अपने हाथ में लेता है, तब उन निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करे, उसे महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे, जैसा कि प्रबन्धतन्त्र को उस समय होता, जब कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गयी होती :

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रवर्तन का विस्तार ऐसी अवधि के लिये जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथाविनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भ के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, चार वर्ष से अधिक न हो :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश को किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(२) धारा ५७ के अधीन सूचना जारी करते हुए जब राज्य सरकार की राय अभिलिखित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह प्रबन्धतन्त्र निलम्बित कर सकेगी, जो तदुपरान्त कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अग्रेतर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसा प्रबन्ध करेगी, जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसरण में प्रबन्धतन्त्र को वास्तव में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अवधि की संगणना करने में वह समय जिसके दौरान यह आदेश संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा निलम्बित रहा था या कोई अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा ५७ के अधीन सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित करने में असफल रहा था, अपवर्जित कर दी जायेगी।

(३) उपधारा (१) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह प्राधिकृत नियन्त्रक को महाविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्ध करने के साधारण अनुक्रम में मासानुमास किराये पर दिये जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभार सृजित करने की (राज्य सरकार या भारत-सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की शर्त के सिवाय) शक्ति प्रदान करती है।

(४) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश महाविद्यालय के या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा :

परन्तु महाविद्यालय की सम्पत्ति और उससे कोई आय महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार उपयोग किया जाता रहेगा, जैसा कि किसी ऐसे लिखित में उपबन्धित हो।

(५) शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) का निदेशक प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियन्त्रक उन निदेशों का पालन करेगा।

सहायता न प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग वाले महाविद्यालयों को धारा ५८ का लागू न होना

५९. धारा ५८ की कोई बात किसी ऐसे महाविद्यालय को लागू न होगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्प-संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित हो।

प्राधिकृत नियन्त्रक का सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्तव्य

६० (१) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियन्त्रणाधीन महाविद्यालय की कोई सम्पत्ति है, वह सम्पत्ति प्राधिकृत नियन्त्रक को तत्काल परिदत्त कर देगा।

(२) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियन्त्रण रखता है, उक्त बही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियन्त्रक को देने के लिये दायी होगा और उन्हें उसको या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियन्त्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा।

(३) प्राधिकृत नियन्त्रक कलेक्टर से महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियन्त्रण परिदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे महाविद्यालय या सम्पत्ति का कब्जा सुनिश्चित कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा और विशिष्टतः यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा या करायेगा।

[1]अध्याय-११-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

परिभाषायें

६०-क. इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो। (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी [2][नगर महापालिका] द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है)।

(२) 'उप-निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(३) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है—

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो।

(४) 'पोषण अनुदान से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा संशोधित।

या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिए समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिए निदेश दे।

(५) 'वेतन' का वही अर्थ होगा, जो धारा ५६ के खण्ड (ख) में उसके लिये दिया गया है।

(६) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है, जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो—

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से १ अप्रैल, १९७५ के पूर्व सृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान

६०-ख. (१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायेगा।

(२) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायेगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

६०-ग. (१) उपनिदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियाँ तथा बाउचर भी है) माँग

सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए उसके प्रबन्धतन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन छँटनी के लिए प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और उसमें ऐसा भावी दिनाङ्क विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(३) जहाँ उपधारा (१) तथा (२) के अनुसार छटनी के लिए कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनाङ्क से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायेगा।

अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद

[१]**६०-ग ग.** कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्य-निधि में अंशदान कर सके और सेवा-निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

६०-घ. (१) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिए किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में एक पृथक् लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्धतन्त्र के एक प्रतिनिधि और उपनिदेशक या ऐसे

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अन्य अधिकारी द्वारा जो उप निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायेगा।

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात् यदि उप-निदेशक का धारा ६०-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उपधारा (३) में निर्दिष्ट दशा में अथवा जहाँ किसी अन्य दशा में प्रबन्धतन्त्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा आवश्यक या समीचीन है, तो उप-निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा उपनिदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णत: या अंशत: धर्मार्थित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे और तदुपरान्त प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेश के अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(३) जहाँ उप-निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र ने उपधारा (२) अथवा तदधीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहाँ उप-निदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त उप-निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षत: (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(४) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी, जो उपधारा (१) तथा (३) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (५) के अनुसार करने के लिये आवश्यक हो।

(५) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्न-लिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् की किसी कालावधि के लिए महाविद्यालय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए।

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखे में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए।

(६) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो, तब चेक द्वारा संदत्त किया जायेगा।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

[1]**६०-ङ.** (१) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिए दायी होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९७५ को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची में ले लिया गया हो :

परन्तु प्रथमत: यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान मंजूर करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो :

परन्तु द्वितीयत: यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का सृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरे गये हों :

१. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु तृतीयत: यह कि राज्य सरकार किसी ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी, जहाँ पदों के सृजन की अनुज्ञा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी हो कि अपने-अपने महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार सृजित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थत: यह कि ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्ववित्तपोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगी'।

(२) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी, मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में, जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हों, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

दण्ड, आस्तियाँ तथा प्रक्रिया

६०-च. (१) यदि धारा ६०-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा ६०-ख या धारा-६०-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा ६०-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने

से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास, जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप-निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नही करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारण्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अन्तिम होना

६०-छ. इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा); उप-निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

६०-ज. (१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्य तदधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अध्याय १२

शास्तियाँ और प्रक्रिया

शास्तियाँ

६१. (१) जो कोई धारा ४६ के उपबन्धों का उल्लङ्घन करता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सम्पत्ति का, जिसके सम्बन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश किया गया था, कब्जा, अभिरक्षा या नियन्त्रण रखता है, ऐसी सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक से या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से दोषतः रख रखता है, या

(ख) ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषतः अभिप्राप्त करता है, या

(ग) कोई बही या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हो, प्राधिकृत नियन्त्रक को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट धारा ६० की उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर रोकता है या असफल रहता है, या

(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक् रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है,

सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अभियुक्त

व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषत: रखी गयी या दोषत: अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति को या जानबूझ कर रखी गयी किसी बही या अन्य दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर परिदत्त कर दे या वापस कर दे।

न्यायालयों का संज्ञान

६२. कोई भी न्यायालय शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) के निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना धारा ६१ के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध

६३. (१) यदि धारा ६१ के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो, तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कारबार के संचालन के लिये सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसे अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा।

●

अध्याय-१३

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

६४. (१) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(२) जहाँ इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

(३) जहाँ इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहाँ परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है, तो वह ऐसी रीति से होगा, जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(४) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

६५. (१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(२) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह

निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे [× × × ×[1]]

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना

६६. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :—

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

[2]**६६-क.** 'राज्य सरकार समय-समय पर किसी विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा'।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

६७. सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है, जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलङ्कात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

१. 'और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाय'। अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

कुलाधिपति को निर्देश

६८. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय [1](जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायगा;

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा।

(ख) जहाँ निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो, तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा, जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

[2](ग)

प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति

[3]**६८-क.** (क) जहाँ सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहाँ इस अधिनियम के या धारा ७४ द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतन्त्र ने ऐसे अध्यापक के वेतन का, जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहाँ कुलपति यह आदेश दे सकता है कि प्रबन्धतन्त्र वेतन की उस राशि का भुगतान करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में देय वेतन का १/२ की दर से निलम्बन भत्ता, यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान करने के लिए भी प्रबन्धतन्त्र को आदेश दे सकता है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुलपति सम्बद्ध अध्यापक की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन कुलपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या निलम्बन भत्ता की धनराशि कुलपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायेगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उस न्यायालय की डिग्री हो।

(५) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।

वाद का वर्जन

[1]६९. राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (जैसा धारा ६०-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियन्त्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

७०. (१) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएँ उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय-१४

संक्रमणकालीन उपबन्ध

विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों का बना रहना

७१. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तारीख को किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद धारण वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद धारण किये रहेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

[१]**७२.** (१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनाङ्क से ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

(२) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह समय-समय पर निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वहन योग्य शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा :

[२]परन्तु ऐसा कोई निदेश [३]३१ दिसम्बर, १९८१ के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

*[४](३)

* (३) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ की धारा ६७ की उपधारा (२) के अनुसरण में गठित प्राशासनिक समितियाँ और विद्या-

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा संशोधित।
३. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

[१]७२-क, ७२-ख, ७२-ग*, ७२-घ*, ७२-ङ*, ७२-च*, ७२-छ*, ७२-ज*

समितियाँ १५ सितम्बर, १९७३ को विघटित उन बातों के सिवाय हो जायेंगी, जो उन्होंने उस तारीख से पूर्व किया था या उनके किये जाने में सोच किया था, किन्तु इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को उस तारीख से उपधारा (२) के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही करने से, जिसे वह ठीक समझे, प्रवासरित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

काशीविद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

*[२]**७२-क.** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशीविद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नयी नियुक्तियाँ न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा, जिन पर कि वह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा;

[३](ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य [४]३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्य की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[५]**७२-ख** २५ अप्रैल, १९८९ से, इस अधिनियम या किसी नियम,

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।
३. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
५. अधिनियम संख्या २६, सन् १९८९ द्वारा बढ़ाया गया।

परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[1]७२-ग. १७ जनवरी, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में मेरठ विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[2]७२-घ. (१) १८ जून, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

[3](२) ११ जून, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय या डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति किसी निर्देश को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

काशीविद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[4]७२-ङ. ११ जुलाई, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में काशीविद्यापीठ के प्रति किसी निर्देश को महात्मा गाँधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[5]७२-च. (१) २४, सितम्बर, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।
३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा संशोधित।
४. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।
५. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

७३. (१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टत: धारा ७४ द्वारा निरसित अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

क्रमश: डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

[1](२) उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विश्वविद्यालय या श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

गोरखपुर और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[2]७२-छ. उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रमश: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[3]७२-ज. उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

१. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ द्वारा संशोधित।
२. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा संशोधित।
३. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा संशोधित।

[1]परन्तु [2]३१ दिसम्बर, १९८२ के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

७४. (१) निम्नलिखित अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा क्रमशः उन तारीखों से निरसित की जा रही हैं, जिन तारीखों को यह अधिनियम विद्यमान सम्बद्ध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त किया गया है :—

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०,

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१,

(ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६,

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६,

(ङ) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, और

(च) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९६५।

[3](२) ऐसे निरसन के होते हुए भी :

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियाँ या डिप्लोमा अथवा जारी किये प्रमाण-पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गयी,

१. अधिनियम संख्या २५, सन् १९८२ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गयी समझी जायेंगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिक्रान्त न कर दिये जायें, प्रवृत्त बनी रहेंगी।

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियाँ, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुईं तथा चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतन्त्र या कार्यपरिषद् द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियाँ, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी; किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जायेगी, जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं।

(३) इस अधिनियम की उपधारा (१) और उपधारा (२) या किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

[1](क)

[2](ख) विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विषय में शिक्षण देने के लिए अध्यापन का एक विभाग हो सकेगा और यह पाठ्यक्रम विहित कर सकेगा तथा उस विषय में परीक्षाएँ ले सकेगा तथा ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए उपाधियाँ संस्थित कर सकेगा और उन्हें प्रदान कर सकेगा या दे सकेगा, चाहे परिनियमों या अध्यादेशों में उस निमित्त व्यवस्था की गयी हो या नहीं।

*[4](ग)

*[3](ख)

*(ग) जहाँ किसी संस्था ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिये

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।
४. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

(घ) जब तक कि धारा ३१ की उपधारा (५) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता, तब तक यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान हों, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा :

[१]परन्तु यह कि उक्त उपधारा (५) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नामनिर्देशनों पर भी लागू होंगे।

(ङ) जब तक किसी विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट संकाय के *[२]विभागाध्यक्ष द्वारा पालन किए जायेंगे;

(च) जब तक कि धारा १७ के अधीन नियम नहीं बना दिये जाते, तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की कोई रिक्ति, कुलसचिव के पद की दशा में कुलाधिपति द्वारा और उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव की दशा में कुलपति द्वारा अस्थायी आधार पर भरी जा सकेगी।

आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ के उपबन्धों के अनुसार १८ जून, १९७३ से पूर्व आवेदन किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को लम्बित था और जहाँ यह संस्थान स्थित है, वह स्थान इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है, तो ऐसा आवेदन आगरा विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जा सकेगा, मानो वह संस्थान उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा आवेदन मंजूर किये जाने पर वह संस्था उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगी, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर, जैसा कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट है, संस्थान स्थित होगा।

* संकायाध्यक्षों।

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

*[१](छ)

*[२](ज)

[३](झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से १९७४ की बी.ए.

---

*[४](छ) वाराणसी जिले में स्थित काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था; या

(२) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए विद्यावर्ष १९७३-७४ के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रविष्ट था; या

(३) वर्ष १९७४ में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष १९७५ में [५]अथवा वर्ष १९७६ में उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

* (ज) जब तक कि धारा ४ की उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(१) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(२) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य, और

(३) तीन विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

५. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

भाग १ या एम.ए. भाग १ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या-वर्ष १९७४-७५ और १९७५-७६ के दौरान काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज्ञानपुर वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, बी.ए. भाग २ या एम.ए. भाग २ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त विश्वविद्यालय कहा गया है) धारा ७ के खण्ड (५) में निर्दिष्ट परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे परीक्षाफल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था।

[१](४) (क) २ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाली कालावधि में—

(१) धारा (५) की उपधारा (४) के परन्तुक में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक महाविद्यालय और उससे सम्बद्ध किसी अस्पताल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यानकक्ष या संग्रहालय तथा किसी उपस्कर, स्टोर, औषधि, धनराशियों तथा अन्य आस्तियों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण राज्य सरकार में निहित रहेगा और ऐसी सम्पत्तियों तथा आस्तियों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा, जिनके लिये उनका उपयोग किया जाता था या उपयोग किया जाना अभिप्रेत था;

(२) विश्वविद्यालय की समस्त, भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्स्चर्स तथा अन्य आस्तियों, जिनका उपयोग इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजनों के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेगी।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व नियोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक शक्तियाँ (जिसमें किसी सेवा संविदा को समाप्त करने या निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित समझी जायेगी) तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नये कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार में या उसके द्वारा विश्वविद्यालय या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित रहेंगी।

(ख) यदि खण्ड (क) के उपखण्ड (३) के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति ३ मार्च, १९७२ के पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नियोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

१९६५ के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. २४ का संशोधन

७५. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ में 'दो मास' शब्दों के स्थान पर 'छः मास' शब्द रखे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

७६. (१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही धारा ७२ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे की गयी मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम १९७३ के जून के १८ वें दिन प्रारम्भ हुआ था।

अनुसूची

(धारा ५ देखिये)

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र, जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
१.	लखनऊ विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल के चारों ओर सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
२.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल से चारों ओर सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
[1]३.	[2]डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्व-विद्यालय, आगरा—	
	१. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
	२. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।
४.	[3]दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर—	
	१. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा वाराणसी जिले।
	२. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिले।
	३. [1]पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	बस्ती, देवरिया और गोरखपुर जिले।
२५.	[3]क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर—	
	१. बुन्देलखण्ड तथा अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
	२. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पूर्व।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, बाँदा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
	३. अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
६.	[4]चौधरी चरण सिंह विश्व-विद्यालय, मेरठ।	बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

७.	कुमायूँ विश्वविद्यालय	अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले।
८.	[१]हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्व-विद्यालय, गढ़वाल	चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरीगढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले।
९.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	बाँदा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी तथा ललितपुर जिले।
१०.	[२]डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले।
११.	[३]महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेल-खण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
[४]१२.	[५]वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जिले।

१. अधिनियम संख्या २६, सन् १९८९ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा प्रतिस्थापित।
५. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४)

अध्याय ४

अस्थायी उपबन्ध

२८. (१) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः बुन्देलखण्ड, अवध, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अध्याय २ तथा ३ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्तन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि [१]३१ दिसम्बर [२]१९८१ के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९८०

अपवाद

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९८०)

१०. मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा २१ जुलाई, १९८० (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त दिनाङ्क कहा गया है) के पश्चात् किन्तु ३१ जुलाई, १९८० के पूर्व किसी समय, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कर्त्तव्यों के पालन या तात्पर्यित पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगा, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उक्त दिनाङ्क के बाद ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करने या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी;

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राधिकारियों के सदस्यों को जो २१ अप्रैल, १९८० को अपना-अपना पद धारण करते रहे हों, ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या उस समय तक जब तक कि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारी सम्यक् रूप से नियुक्त न कर दिये जाँय और प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित न हो जाँय, इसमें जो भी पहले हो, पूर्ववत् ऐसे पदों को धारण करता समझा जाएगा।

(ग) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० के अधीन बनाये गये प्रथम परिनियमों के परिनियम १७३-ए के अनुसार, १२ जून, १९७३ से प्रारम्भ होने वाली और २२ अगस्त, १९८० को समाप्त होने वाली अवधि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो २२ अगस्त, १९८० को अस्तित्व में थी, विधिमान्य समझी

जाएगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जाएगी, और उस प्रयोजन के लिये, उक्त परिनियम १७३-ए को उक्त अवधि में प्रवृत्त समझा जायेगा, और जहाँ ऐसे अध्यापक द्वारा धृत अस्थायी पद को २२ अगस्त, १९८० के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट, स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, वहाँ ऐसा अध्यापक उस स्थायी पद पर ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से उक्त खण्ड (ख) के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के दिनाङ्क से उस पद पर स्थायी किया गया माना जाएगा।

निरसन और अपवाद

११. (१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९८० और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९८० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

(नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८ सन् १९८४।

राज्य विश्वविद्यालयों में की गई कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिये।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ कहा जाएगा।

२. नियुक्तियों की विधिमान्यता

किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किसी विश्वविद्यालय में या उसके किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में १ जुलाई १९७८ और इस अधिनियम के प्रख्यापन के दिनाङ्क के बीच की अवधि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जाएगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि यह पद अलग से विज्ञापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था।

३. निरसन और अपवाद

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश १९८४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६ सन् १९८४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा १ में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जो उक्त अध्यादेश के तहत की गयी हो, इस अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

●